

प्रेस नोट

दिनांक: 16.10.2026

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के प्रकरण में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर

01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.07.2026 को वादी प्रदीप सिंह पुत्र संग्राम सिंह निवासी ग्राम बनकसिया शिवरतन सिंह, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर पर तहरीर दी गई कि वह अपने भाई एवं पिता के साथ अपनी भूमि पर पशुओं के लिए चारा डाल रहे थे। वादी की भूमि के बगल में स्थित सहन की भूमि को लेकर विपक्षीगण से पूर्व से विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसी रंजिश को लेकर विपक्षीगण आशीष कुमार, रवि कुमार, वीरेन्द्र कुमार, प्रियांशु, सुनीता, संता, विमला देवी, हिमांशु, कैलाशपती एवं सुरेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम बनकसिया शिवरतन सिंह, थाना मनकापुर द्वारा वादी की भूमि पर आकर फावड़े से खुदाई करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे वादी को गंभीर चोटें आईं तथा वह मौके पर बेहोश हो गया। परिजनों द्वारा घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनकापुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक द्वारा जिला अस्पताल रेफर किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 16.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मनकापुर मय पुलिस टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं मा0 न्यायालय से निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट के तामीला हेतु क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को बल्लीपुर चौराहा से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा अभियुक्त सुनीता पत्नी वीरेन्द्र कुमार को स्टेशन मोड़ मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। विधि विरुद्ध किशोर की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त 01 अदद फावड़ा व 01 अदद बांका बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. सुनीता पत्नी वीरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम बनकसिया शिवरतन सिंह, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 0304/2026, धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/352/109(1)/119(1) बीएनएस, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01- घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा।

02- घटना में प्रयुक्त एक अदद बांका।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01- प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह, थाना मनकापुर

02- म0उ0नि0 रुचि गौतम।

03- उ0नि0 लालजी।

04- कां0 संजय साहू।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 16.10.2026

मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत के छठे दिवस पर मिशन शक्ति केन्द्र/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित पारिवारिक प्रकरणों से संबंधित परिवारों को सम्मानित कर लिया गया फीडबैक

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत आज दिनांक 16.10.2026 को जनपद गोण्डा के मिशन शक्ति केन्द्र/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पूर्व में आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारित किए गए पारिवारिक प्रकरणों से संबंधित अभिभावकों एवं परिवारीजनों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संबंधित परिवारों से प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात उनके पारिवारिक जीवन में आए बदलावों, आपसी संबंधों में सुधार तथा वर्तमान स्थिति के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान में संवाद, आपसी समझ, धैर्य एवं सहमति की भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई। परिवारों को प्रेरित किया गया कि वे आपसी मतभेदों को बातचीत एवं समझदारी के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें तथा परिवार में एक-दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और सहयोग की भावना बनाए रखें। साथ ही महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। मिशन शक्ति केन्द्र/परिवार परामर्श केन्द्र का उद्देश्य पारिवारिक विवादों के मामलों में संबंधित पक्षों की काउंसलिंग कर आपसी सहमति से समाधान का प्रयास करना, परिवारों में बिखराव की स्थिति को रोकने में सहयोग प्रदान करना तथा महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व में निस्तारित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने, संबंधित परिवारों के अनुभव जानने तथा परामर्श प्रक्रिया की उपयोगिता के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पारिवारिक विवादों के संवेदनशील एवं प्रभावी समाधान की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 16.10.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी के माल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15.10.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, आवास विकास, निकट आरपी लॉन निवासी हजारी लाल गुप्ता पुत्र राम किशोर द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 08:00 बजे घर से रोजी-रोजगार के लिए निकले थे। दोपहर करीब 03:00 बजे वापस लौटने पर घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला तथा अज्ञात चोरों द्वारा दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखे ₹50,000 नकद एवं सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही—

आज दिनांक 16.10.2026 को उपनिरीक्षक पिण्डू कुमार यादव पुलिस टीम के साथ उक्त चोरी की घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में मगमूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे न्यू इन्दिरा नगर कॉलोनी जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, जिनके उक्त चोरी की घटना में शामिल होने की आशंका है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी से संबंधित आभूषण, ₹634 के सिक्के तथा ₹4,800 नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. राशिद पुत्र सिद्धिक, निवासी मोहल्ला न्यू इन्दिरा नगर कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
2. छोटू उर्फ सुल्तान पुत्र स्वर्गीय दीन मोहम्मद, निवासी मोहल्ला न्यू इन्दिरा नगर कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

बरामदगी का विवरण—

1. एक अदद मंगलसूत्र, पीली धातु, काले मोतियों में पिरोया हुआ।
2. एक जोड़ी कान का झाला, पीली धातु।
3. एक जोड़ी पायल, सफेद धातु।
4. एक अदद गिलास, पीली धातु।
5. ₹634 के विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्के।
6. ₹4,800 नकद।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 0947/2026, धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 पिण्टू कुमार यादव।
2. हे0का0 दीपक कुमार नायक।
3. हे0का0 विपिन पाण्डेय।
4. का0 पियूष गोस्वामी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 16.10.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा चोरी के दो एण्ड्रायड मोबाइल फोन के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुन्देरवा, मौजा विशुनपुर माफी निवासी सिपिल सार्जन वर्मा पुत्र गुरुदास वर्मा के घर के बरामदे में दिनांक 01.10.2026 की रात्रि लगभग 11:00 बजे चार्जिंग पर लगे दो एण्ड्रायड मोबाइल फोन अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए गए थे। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही—

दिनांक 16.10.2026 को उपनिरीक्षक रामविलास यादव मय हमराह क्षेत्र में रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान ग्राम लालपुर स्थित नहर पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर तेजी से जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा उसे घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो एण्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद मोबाइल फोन के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने उन्हें ग्राम कुन्देरवा स्थित घर के बरामदे से चोरी करना स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- विवेक कुमार पुत्र महेन्द्र नाथ शास्त्री उर्फ मालबाबू, निवासी ग्राम लालपुर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 367/2026, धारा 303(2) बीएनएस एवं बढ़ोतरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण—

1. एक अदद वीवो कम्पनी का एण्ड्रायड मोबाइल फोन
2. एक अदद वीवो कम्पनी का एण्ड्रायड मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 रामविलास यादव
2. उ0नि0 सत्यनारायण गिरी
3. हे0का0 संजय यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 16.10.2026

साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा पासवर्ड सुरक्षा (Password Safety) के प्रति आमजन को किया गया

जागरूक-

गोण्डा। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अक्टूबर माह में चलाए जा रहे **साइबर जागरूकता अभियान** के अंतर्गत आज दिनांक 16.10.2026 को जनपद गोण्डा के समस्त थानों द्वारा **पासवर्ड सुरक्षा (Password Safety)** विषय पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन, विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों को ऑनलाइन खातों, सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल, बैंकिंग सेवाओं तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड बनाने और उनका सुरक्षित उपयोग करने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी कमजोर पासवर्ड, एक ही पासवर्ड का विभिन्न अकाउंट में इस्तेमाल, फर्जी लिंक, फिशिंग संदेश तथा लोगों की लापरवाही का फायदा उठाकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल एवं अन्य ऑनलाइन खातों तक अनधिकृत पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने पासवर्ड की सुरक्षा के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। लोगों को जागरूक किया गया कि वे अपना पासवर्ड ऐसा बनाएं, जिसका अनुमान लगाना आसान न हो तथा जिसमें बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों एवं विशेष चिह्नों का उपयुक्त संयोजन हो। साथ ही प्रत्येक ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें तथा अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या अन्य आसानी से अनुमान लगाए जा सकने वाले विवरणों को पासवर्ड के रूप में रखने से बचें। आमजन को यह भी बताया गया कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें, अनजान कॉल, संदेश, ई-मेल या लिंक के माध्यम से मांगी गई गोपनीय जानकारी उपलब्ध न कराएं तथा किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर अपना पासवर्ड दर्ज करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। ऑनलाइन खातों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जहां भी सुविधा उपलब्ध हो, वहां **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Two-Factor Authentication/2FA)** अथवा बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण को सक्रिय रखने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त पासवर्ड को असुरक्षित स्थानों पर लिखकर रखने तथा सार्वजनिक या साझा कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद अकाउंट लॉगआउट करना भूल जाने जैसी गलतियों से बचने के प्रति भी जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान लोगों को समझाया गया कि किसी भी परिस्थिति में बैंकिंग ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड संबंधी गोपनीय जानकारी, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील विवरण अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि किसी ऑनलाइन अकाउंट के हैक होने, पासवर्ड चोरी होने या साइबर धोखाधड़ी का संदेह हो, तो तत्काल संबंधित अकाउंट का पासवर्ड बदलें, उपलब्ध सुरक्षा विकल्पों को सक्रिय

करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में **राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930** पर संपर्क करें अथवा आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को डिजिटल दुनिया में सतर्क, सुरक्षित एवं जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। गोण्डा पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें, साइबर सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें तथा स्वयं जागरूक बनकर अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16-10-2026

‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से द्विपक्षीय विवाद में प्रथम पक्ष के 04 व द्वितीय पक्ष के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03-04-2010 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे विसैंधा में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ था जिसमें दोनों पक्षों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना तरबगंज पुलिस द्वारा प्रथम पक्ष के 04 आरोपी अभियुक्तों को तथा द्वितीय पक्ष के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना तरबगंज में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहरीर का० अखिलेश कुमार वर्मा व थाना तरबगंज के पैरोकार हेड का० सोनू कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 16-10-2026 को प्रथम पक्ष के 04 दोषी अभियुक्तगण को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री दानिश हसनैन द्वारा दोषसिद्ध करते हुए **05-05 वर्ष का कारावास व रूपये 24,000-24,000/- के अर्थदण्ड** तथा द्वितीय पक्ष के 02 दोषी अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष का कारावास व रू० 18,000-18,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

प्रथम पक्ष-

- 01- राम विलास मिश्रा पुत्र स्व0 राधिका प्रसाद नि0 ग्राम रागी पूरे विसैँधा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
- 02- राम सूरत पूत्र मुन्ना नि0 ग्राम रागी पूरे विसैँधा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
- 03- अमन कुमार मिश्रा पुत्र राम विलास नि0 ग्राम रागी पूरे विसैँधा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
- 04- अंगद कुमार मिश्र नि0 ग्राम रागी पूरे विसैँधा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

द्वितीय पक्ष-

- 01- शेष कुमार पुत्र रामधीरज नि0 मौजा रागी पूरे विसैँधा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
- 02- गोली पुत्र राममनोरथ नि0 मौजा रागी पूरे विसैँधा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

- 01- मु0अ0सं0- 98 /2010, धारा 308/34,323/34,324/34,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
- 02- मु0अ0सं0- 98ए/2010, धारा 307/34,323/34,324/34,325/34,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16-10-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्त को हुई 15 वर्ष का कारावास व 10,000/- के अर्थदण्ड की

सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थी अरविन्द कुमार पुत्र श्रीकान्त निषाद निवासी ग्राम सियापुरवा, मजरा अडगोड़वा, थाना मोतीगंज, जनपद बहराइच द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसने अपनी बहन की शादी लगभग 02 वर्ष पूर्व अमर सिंह पुत्र जोखू निषाद निवासी ग्राम बड़ी केवटहिया, मजरा लिदेहना ग्रंट, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा के साथ की थी। शादी के बाद से पति अमर सिंह, सास राजरानी एवं जोखू निषाद द्वारा दहेज में ₹1,00,000/- नकद व सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 26.09.2023 को बहन की मृत्यु की सूचना मिलने पर प्रार्थी ससुराल पहुंचा, जहां बहन का शव कमरे में बेड पर पड़ा मिला। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर नामजद 03 आरोपी अभियुक्तों- 01- अमर सिंह, 02- जोखू निषाद, 03- राजरानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना मनकापुर में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री वसंत शुक्ला, कोर्ट मोहरीर हेड का0 मार्कण्डेय सिंह व थाना मनकापुर के पैरोकार हेड का0 बृजेश गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 16-10-2026 को दोषी अभियुक्त अमर सिंह को सेशन जज श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए **15 वर्ष का कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया तथा साक्ष्यों के अभाव में जोखू निषाद व राजरानी को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- अमर सिंह पुत्र जोखू निषाद नि0 ग्राम केवठिया मजरा लिदेहना ग्रांट, थानामनकापुर -, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0- 522/23, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।